

आज से विभागों में समय पर होगा काम

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

स्वतंत्रता दिवस पर राज्यवासियों को मिलेगा सरकारी दफ्तरों में काम कराने का अधिकार। सोमवार को पूरे राज्य में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 (राइट टू सर्विस एक्ट) लागू हो जायेगा। इसी के साथ भ्रष्टकर्मियों की मुट्ठी गम करने की 'अनिवार्यता' या किसी रसुखदार के पैरवी की 'बाध्यता' खत्म हो जायेगी। हर काम का समय तय होगा। रविवार को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार और पीआरडी सचिव राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कानून के लाभ पर विस्तार से चर्चा की।

राइट टू सर्विस एक्ट के पहले चरण में दस विभागों की 50 सेवाओं को शामिल किया गया है। लोगों की सहायता के लिए हरेक जिले में एक 'मे आई हेल्प यू' काउंटर खोला गया है। आवेदन करने वाले व्यक्ति को उसी समय 18 अंकों का यूनिक नंबर दिया जायेगा। इससे आवेदन पर कार्रवाई की ऑनलाइन जानकारी ली जा सकेगी। आवेदक चाहे तो एसएमएस करके भी आवेदन की स्थिति

का पता कर सकेगा। दस दिनों के भीतर टॉल फ्री नंबर पर फोन से कार्रवाई की जानकारी देने की व्यवस्था हो जायेगी। राइट टू सर्विस एक्ट को बिहार में तैयार किये गये सॉफ्टवेयर 'अधिकार' के माध्यम से अमल में लाया जायेगा। इसमें आवेदनों की ट्रैकिंग की व्यवस्था है। इससे वरीय अफसरों को पता होगा कि किस अफसर के पास कितने आवेदन आए और कितने पर कार्रवाई हुई?

पहले चरण में आवेदन देने और कागजात लेने के लिए आवेदक को सरकारी कार्यालय आना पड़ेगा। दूसरे चरण में आवेदन ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा मिल जायेगी। यह व्यवस्था एक माह के भीतर लागू हो जायेगी। तीसरे चरण में 26 जनवरी से कागजात-प्रमाण पत्र की ऑनलाइन डिलिवरी की व्यवस्था कर दी जायेगी। समय पर काम नहीं करने वाले सरकारी कर्मों से प्रतिदिन 250 रुपये जुर्माना वसूला जायेगा। साथ ही विभागीय और अनुशासनिक कार्रवाई भी चलेगी।

भ्रष्टाचार पर करें प्रहार

विशेष शृंखला पेज-02 पर

एसएमएस से जानकारी

आवेदक यूनिक नंबर का इस्तेमाल कर कार्रवाई की जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें मोबाइल के राइट मेसेज में जाकर आरटीपीएस यूनिक नंबर टाइप कर 56677 पर मेसेज भेजना होगा। यह सुविधा 16 अगस्त से लागू होगी।



सेवा मिलने में सुविधा बिना कोई बाधा

कार्यालयों में कैसे होगा काम

● आवेदन सुबह 10.30 से 1.30 बजे तक जमा होंगे ● 2.30 से 4.30 बजे तक आवेदनों का वितरण ● 4.30 बजे के बाद आंकड़ों और सेवाओं का नोटिस प्रकाशन